कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–2/स्थानांतरण/इतिहास/ 2019–20/ दिनांक–29.09.2019 के तहत् तहत श्रीमती शैलजा शर्मा व्याख्याता इतिहास का स्थानांतरण राउमावि, तिलोरा, अजमेर से राउमावि, दुर्गावास, अजमेर किया गया। शैलजा शर्मा ने अपने स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3502/2019 शैलजा शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 27.11.2019 द्वारा न्यायहित में यह आदेश दिया है की अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष सक्षम निर्देशित कर अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्राधिकारी को रिक्त पद दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अभ्यावेदन को विभागीय दिशा निर्देशों/नियमों के अन्तर्गत निस्तारित कर अपीलार्थी को संसूचित करने के आदेश पृदत किये।

माननीय अधिकरण के निर्णय के कम में अपीलार्थी शैलजा शर्मा ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के बच्चे की पढ़ाई हेतु अजमेर आना, अल्प समय में पुनः स्थानान्तरण होना और अपनी सास के वृद्ध होने के आधार निम्नलिखित रिक्त पदः– 1. राउमावि, माखपुरा, अजमेर 2. राउमावि गगवाना, अजमेर के रिक्त पद की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किए गए स्थानान्तरण आदेश मे किसी प्रकार से सेवा नियमों का उल्लंधन नहीं पाया गया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन द्वारा यथावत/वांछित स्थान की मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाकर निस्तारित किया जाता है। श्रीमती शैलजा शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

20/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

दिनांकः–20/12/2019

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–2/अभ्यावेदन/शैलजा शर्मा/को.के/19–20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती शैलजा शर्मा के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जॉच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर